

कार्यालय—जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उधमसिंहनगर ।

पत्रांक— 199/जि0उ0वि0प्रति0आ0/2026

दिनांक—2/ सितम्बर 2026

सेवा में,

पंकज कुमार पुत्र श्री कमलेश चन्द्र अग्रवाल,
नि0—मौहल्ला बाजार भूपसिंह, जसपुर,
जिला उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)।

आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत परिवाद संख्या 106/2023 पंकज कुमार बनाम— यूको बैंक जिसमें दिनांक 07-08-2026 को निर्णय पारित किया जा चुका है। विपक्षी यूको बैंक की ओर से उक्त आदेश दिनांकित 07-08-2026 के अनुपालन में डिमाण्ड ड्राफ्ट नं0-013559 दिनांकित 14-09-2026 अंकन रू0 4,69,242/- जोकि परिवादी पंकज कुमार के नाम का है, बनवाकर इस आयोग में दिनांक 15-09-2026 को जमा कर दिया गया है। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता अवधि तीन माह है। उक्त धनराशि के जमा होने की सूचना इससे पूर्व भी आपके अधिवक्ता को मौखिक एवं टेलीफोन के माध्यम से दी जा चुकी है।

अतः आपको पुनः इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि आप प्रश्नगत डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में आकर सम्बन्धित डिमाण्ड ड्राफ्ट नं0-013559 दिनांकित 14-09-2026 अंकन रू0 4,69,242/- को इस कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं। कृपया सूचित हो।



(राजीव कुमार खरे)
अध्यक्ष,

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
उधमसिंहनगर ।

कार्यालय-जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उधमसिंहनगर ।

पत्रांक- 198/जि0उ0वि0प्रति0आ0/2026

दिनांक-2/ सितम्बर 2026

सेवा में,

श्रीमती शीतल अग्रवाल पत्नी श्री पंकज कुमार,
नि0-मौहल्ला बाजार भूपसिंह, जसपुर,
जिला उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)।

आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत परिवाद संख्या 105/2023 शीतल अग्रवाल बनाम- यूको बैंक जिसमें दिनांक 07-08-2026 को निर्णय पारित किया जा चुका है। विपक्षी यूको बैंक की ओर से उक्त आदेश दिनांकित 07-08-2026 के अनुपालन में डिमाण्ड ड्राफ्ट नं0-013558 दिनांकित 14-09-2026 अंकन रु0 9,49,343/- जोकि शीतल अग्रवाल के नाम का है, बनवाकर इस आयोग में दिनांक 15-09-2026 को जमा कर दिया गया है। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता अवधि तीन माह है। उक्त धनराशि के जमा होने की सूचना इससे पूर्व भी आपके अधिवक्ता को मौखिक एवं टेलीफोन के माध्यम से दी जा चुकी है।

अतः आपको पुनः इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि आप प्रश्नगत डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में आकर सम्बन्धित डिमाण्ड ड्राफ्ट नं0-013558 दिनांकित 14-09-2026 अंकन रु0 9,49,343/- को इस कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त कर सकती हैं। कृपया सूचित हो।



(राजीव कुमार खरे)
अध्यक्ष,

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
उधमसिंहनगर ।